

## विहित प्रपत्रों की सूची :-

क्रं.	विषय वस्तु	फॉर्म नम्बर
1	2	3
1.	अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/पिछड़ा वर्ग/अत्यंत पिछड़ा वर्ग का जाति प्रमाणपत्र हेतु आवेदन ।	:- फॉर्म-I
2.	अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति का प्रमाणपत्र	:- फॉर्म-II
3.	अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति का प्रमाणपत्र हेतु स्वयं शपथपत्र ।	:- फॉर्म-III
4.	पिछड़ा वर्ग एवं अति पिछड़ा वर्ग का जाति प्रमाणपत्र	:- फॉर्म-IV
5.	पिछड़ा वर्ग एवं अति पिछड़ा वर्ग का जाति प्रमाणपत्र हेतु स्वयं शपथपत्र ।	:- फॉर्म-V
6.	ओ.बी.सी. (क्रीमीलेयर रहित प्रमाणपत्र) हेतु आवेदन पत्र (भारत सरकार के प्रयोजनार्थ)	:- फॉर्म-VI
7.	भारत सरकार की सेवाओं में अन्य पिछड़े वर्गों की उम्मीदवारों द्वारा आवेदन करने संबंधी प्रमाणपत्र (क्रीमीलेयर रहित प्रमाणपत्र) ।	:- फॉर्म-VII
8.	ओ.बी.सी. (क्रीमीलेयर रहित) प्रमाणपत्र हेतु स्वयं शपथपत्र । (भारत सरकार के प्रयोजनार्थ)	:- फॉर्म-VIII
9.	क्रीमीलेयर रहित प्रमाणपत्र हेतु आवेदन पत्र (बिहार सरकार के प्रयोजनार्थ) पिछड़ा वर्ग/अत्यंत पिछड़ा वर्ग	:- फॉर्म-IX
10.	क्रीमीलेयर रहित प्रमाणपत्र पिछड़ा वर्ग/अत्यंत पिछड़ा वर्ग हेतु (बिहार सरकार के प्रयोजनार्थ)	:- फॉर्म-X
11.	क्रीमीलेयर रहित प्रमाणपत्र हेतु स्वयं शपथपत्र पिछड़ा वर्ग/अत्यंत पिछड़ा वर्ग हेतु (बिहार सरकार के प्रयोजनार्थ)	:- फॉर्म-XI
12.	निवास प्रमाणपत्र हेतु आवेदन पत्र	:- फॉर्म-XII
13.	निवास प्रमाणपत्र	:- फॉर्म-XIII
14.	निवास प्रमाणपत्र हेतु स्वयं शपथपत्र	:- फॉर्म-XIV
15.	आय प्रमाणपत्र हेतु आवेदन पत्र	:- फॉर्म-XV
16.	आय प्रमाणपत्र	:- फॉर्म-XVI
17.	आय प्रमाणपत्र हेतु स्वयं शपथपत्र	:- फॉर्म-XVII
18.	क्रीमीलेयर में नहीं आने संबंधी अधिकारिक घोषणापत्र का विहित प्रपत्र	:- फॉर्म-XVIII

## फॉर्म-I

आवेदन पत्र संख्या.....

अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति प्रमाणपत्र हेतु आवेदन पत्र

कार्यालय का नाम :-

आवेदन पत्र जमा करने की तिथि

आवेदक/आवेदिका का नाम :-

पिता का नाम एवं जाति:-

पति का नाम :-

लिंग :-

स्वयं शपथ-पत्र :-

गाँव/मोहल्ला :-

पोस्ट :-

पंचायत/वार्ड संख्या :-

थाना :-

ब्लॉक :-

अनुमण्डल :-

जिला :-

राज्य :-

व्यवसाय :-

अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति :-

उप जाति :-

स्वीकृति प्रदान करने वाले पदाधिकारी :-

आवेदक/आवेदिका का हस्ताक्षर ।

## फॉर्म-II

कार्यालय का नाम .....

अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति प्रमाणपत्र

प्रमाणपत्र संख्या-..... दिनांक .....

प्रमाणित किया जाता है कि श्री/श्रीमती/कुमारी .....

पुत्र/पुत्री ..... गाँव/शहर ..... पोस्ट

ऑफिस ..... थाना ..... अनुमण्डल .....

जिला ..... राज्य ..... समुदाय के सदस्य हैं, जो कि

संविधान (अनुसूचित जाति) आदेश 1950, संविधान (अनुसूचित जनजाति) आदेश 1950, संविधान अनुसूचित

जाति एवं अनुसूचित जनजाति सूची (मोडिफिकेशन) 1956 एवं अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति

आदेश (संशोधन) अधिनियम, 1976 एवं समय-समय-पर यथासंशोधित अधिनियम के अंतर्गत बिहार राज्य

की सूची में अनुक्रमांक ..... पर अंकित है । अतः श्री/श्रीमती/कुमारी .....

..... पुत्र/पुत्री ..... अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति का/की हैं ।

श्री/श्रीमती/कुमारी ..... एवं उनका परिवार

गाँव/शहर ..... प्रखण्ड ..... पोस्ट ऑफिस .....

थाना ..... अनुमण्डल ..... जिला .....

राज्य ..... में निवास करते हैं ।

हस्ताक्षर .....

पदनाम .....

(कार्यालय का मुहर सहित)

**फॉर्म—III**

स्वयं शपथ-पत्र

अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति प्रमाणपत्र हेतु

मैं ..... पुत्र/पुत्री .....

गाँव/शहर ..... प्रखण्ड ..... पोस्ट .....

ऑफिस ..... थाना ..... अनुमण्डल .....

जिला ..... राज्य ..... एतद् द्वारा निम्नांकित शपथ लेता/लेती हूँ कि :-

मैं ..... जाति से संबंध रखता/रखती हूँ जो अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के अंतर्गत आता है ।

मैं प्रमाणित करता/करती हूँ कि मेरे द्वारा दी गई उपरोक्त जानकारी मेरे ज्ञान और विश्वास के अनुसार सत्य है और मैं अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति वर्ग के लिए आरक्षण सुविधा प्राप्त करने हेतु पात्रता धारण करता/करती हूँ । यदि मेरे द्वारा दी गई जानकारी असत्य/गलत पायी जाती है तो मैं पूर्ण रूप से जानता/जानती हूँ कि इस आवेदन पत्र के आधार पर दिये गये प्रमाणपत्र के द्वारा शैक्षणिक संस्थान में लिया गया प्रवेश/लोक सेवाओं में प्राप्त की गई नियुक्ति निरस्त कर दी जायेगी/कर दिया जायेगा अथवा इस प्रमाणपत्र के आधार पर कोई अन्य सुविधा/लाभ प्राप्त किया गया है उससे भी वंचित किया जा सकेगा और इस संबंध में विधि एवं नियमों के अधीन मेरे विरुद्ध की जाने वाली कार्यवाही के लिए मैं उत्तरदायी रहूँगा/रहूँगी ।

आवेदक/आवेदिका का हस्ताक्षर तथा नाम ।

स्थान :-

दिनांक :-

**फॉर्म-IV**

पिछड़ा वर्ग/अत्यंत पिछड़ा वर्ग का जाति प्रमाणपत्र  
(बिहार सरकार के प्रयोजनार्थ)

कार्यालय का नाम .....

प्रमाणपत्र संख्या- ..... दिनांक .....

प्रमाणित किया जाता है कि श्री/श्रीमती/सुश्री .....

पिता/पति/श्री ..... ग्राम/नगर .....

प्रखण्ड ..... पोस्ट ..... थाना .....

अनुमण्डल ..... जिला ..... राज्य .....

..... समुदाय के सदस्य हैं, जो बिहार पदों एवं सेवाओं की रिक्तियों में आरक्षण (अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों एवं अन्य पिछड़े वर्गों के लिए) अधिनियम, 1991 समय-समय-पर यथासंशोधित अधिनियम के अंतर्गत बिहार राज्य की अत्यंत पिछड़ा वर्ग (अनुसूची-1)/पिछड़ा वर्ग (अनुसूची-2) में अनुक्रमांक..... पर अंकित हैं । अतः श्री/श्रीमती/सुश्री

..... पुत्र/पुत्री ..... अत्यंत पिछड़ा

वर्ग (अनुसूची-1)/पिछड़ा वर्ग (अनुसूची-2) का/की हैं ।

श्री/श्रीमती/कुमारी ..... एवं उनका परिवार

गाँव/शहर ..... प्रखण्ड ..... पोस्ट ऑफिस .....

थाना ..... अनुमण्डल ..... जिला ..... राज्य ..... में

निवास करता है ।

हस्ताक्षर .....

पदनाम .....

(कार्यालय का मुहर सहित)

## फॉर्म-V

स्वयं शपथ-पत्र

अत्यंत पिछड़ा वर्ग/पिछड़ा वर्ग जाति प्रमाणपत्र हेतु

मैं ..... पुत्र/पुत्री .....

गाँव/शहर ..... प्रखण्ड ..... पोस्ट ऑफिस .....

थाना ..... अनुमण्डल ..... जिला ..... राज्य .....

.....एतद् द्वारा निम्नांकित शपथ लेता /लेती हूँ कि :-

मैं ..... जाति से संबंध रखता/रखती हूँ जो अत्यंत पिछड़ा वर्ग (अनुसूची-1)/पिछड़ा वर्ग (अनुसूची-2) के अंतर्गत आता है ।

मैं प्रमाणित करता/करती हूँ कि मेरे द्वारा दी गई उपरोक्त जानकारी मेरे ज्ञान और विश्वास के अनुसार सत्य है और मैं अत्यंत पिछड़ा वर्ग (अनुसूची-1)/पिछड़ा वर्ग (अनुसूची-2) के लिए आरक्षण सुविधा प्राप्त करने हेतु पात्रता धारण करता/करती हूँ । यदि मेरे द्वारा दी गई जानकारी असत्य/गलत पायी जाती है तो मैं पूर्ण रूप से जानता/जानती हूँ कि इस आवेदन पत्र के आधार पर दिये गये प्रमाणपत्र के द्वारा शैक्षणिक संस्थान में लिया गया प्रवेश/लोक सेवाओं में प्राप्त की गई नियुक्ति निरस्त कर दी जायेगी/कर दिया जायेगा अथवा इस प्रमाणपत्र के आधार पर कोई अन्य सुविधा/लाभ प्राप्त किया गया है उससे भी वंचित किया जा सकेगा और इस संबंध में विधि एवं नियमों के अधीन मेरे विरुद्ध की जाने वाली कार्यवाही के लिए मैं उत्तरदायी रहूँगा/रहूँगी ।

आवेदक/आवेदिका का हस्ताक्षर तथा नाम ।

स्थान :-

दिनांक :-

**फॉर्म—VI**

ओ.बी.सी. (क्रीमीलेयर रहित) प्रमाणपत्र हेतु आवेदन पत्र  
(भारत सरकार के प्रयोजनार्थ)

आवेदन पत्र संख्या.....

सेवा में,

.....  
.....

महोदय,

मुझे भारतीय प्रशासनिक सेवा एवं अन्य केन्द्रीय सेवाओं में आरक्षण से सम्बन्धित पिछड़ी जाति के लिए प्रमाणपत्र देने की कृपा की जाय ।

मेरे बारे में आवश्यक जानकारी निम्न प्रकार है :-

1. आवेदक/आवेदिका का नाम :-
2. जन्म तिथि :-
3. आवासीय पता :- (पूर्ण)

(क) स्थाई -	ग्राम/मुहल्ला -	पोस्ट -
थाना -	प्रखण्ड-	जिला -

वार्ड नं. - सर्किल नं. -हो. नं. -

(क) अस्थायी -	ग्राम/मुहल्ला -	पोस्ट -
थाना -	प्रखण्ड-	जिला -
वार्ड नं. -	सर्किल नं. -	हो. नं. -

4. धर्म :-

5. जाति :-

6. उप-जाति :-

7. पेशा -

8. केन्द्र की सूची में पिछड़ी जाति का क्रमांक सं. :-





(घ) आर्मस फोर्स/कारा मिलिट्री के लिए :-

(1) पदनाम :-

(2) वेतनमान :-

(ङ) व्यवसायों के लिए :-      पिता              माता              पत्नी

(1) पेशा :-

(च) सम्पत्ति का विवरण :-

पिता/माता/आवश्यक बच्चों का नाम :-

(1) पता :-

(2) क्षेत्रफल :-

(3)                      (क) असिंचित :-

(ख) सिंचित :-

(4) सिंचित जमीन का प्रतिशत :-

(बिहार सरकार के सिंचित कानून के अन्तर्गत)

(विवरण अंचलाधिकारी से सत्यापित होना चाहिए)

(5) कुल सिंचित/असिंचित जमीन :-

(छ) प्लांटेशन :-

(1) फसल/फल :-

(2) पता :-

(3) क्षेत्रफल :-

(ज) परती जमीन/भवन (शहरी क्षेत्र के लिए)

(1) सम्पत्ति का स्थान :-

(2) सम्पत्ति का विवरण :-

(3) सम्पत्ति का क्या इस्तेमाल होता है :-

**(झ) आय :-**

- (1) वार्षिक आय (नौकरी, पेंशन, व्यवसाय या कृषि से आय)
- (2) क्या कर भुगतान करते हैं ? (अगर हाँ तो विगत तीन वर्षों का रिटर्न की प्रति प्रस्तुत करें) ;
- (3) क्या सम्पत्ति कर के अन्तर्गत हैं (अगर हाँ तो पूर्ण विवरण दें)

**(ट) कुछ अन्य बातें :-**

प्रमाणित किया जाता है कि उपर्युक्त विवरण मेरी जानकारी में सत्य हैं और पूर्ण विश्वास है कि मैं क्रीमीलेयर के अन्तर्गत नहीं हूँ और अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए सक्षम हूँ । अगर कोई सूचना गलत पायी गयी तो मेरा नियोजन रद्द किया जा सकता है या कानून के नियम के अन्तर्गत कार्रवाई की जा सकती है ।

आवेदक/आवेदिका का हस्ताक्षर ।

## फॉर्म—VII

भारत सरकार की सेवाओं में नियुक्ति हेतु अन्य पिछड़े वर्गों के उम्मीदवारों द्वारा आवेदन करने संबंधी प्रमाणपत्र ।

कार्यालय का नाम .....

प्रमाणपत्र संख्या—.....

दिनांक .....

यह प्रमाणित किया जाता है कि श्री/सुश्री/श्रीमती.....

पिता/पति का नाम.....ग्राम/महल्ला.....

.....पोस्ट.....थाना..... प्रखण्ड.....

जिला..... प्रमण्डल..... राज्य बिहार के हिन्दू/मुस्लिम धर्म

अन्तर्गत.....जाति के सदस्य हैं, जिसे निम्नानुसार अन्य पिछड़े वर्गों के रूप में

मान्यता प्राप्त है :-

@ भारत सरकार, कल्याण मंत्रालय के संकल्प संख्या—12011/68/93 बी.सी.सी. (सी.) दिनांक 10.09.1993 को भारत सरकार के राजपत्र के असाधारण गजट के भाग—1 खण्ड—1 संख्या—186 दिनांक 13.09.1993 के आलोक में पहचान किए गए हैं ।

@ भारत सरकार, कल्याण मंत्रालय के संकल्प संख्या—12011/9/94 बी.सी.सी. दिनांक 19.10.1994 को भारत सरकार के राजपत्र के असाधारण गजट के भाग—1 खण्ड—1 संख्या—163 दिनांक 20.10.1994 के आलोक में पहचान किए गए हैं ।

@ भारत सरकार, कल्याण मंत्रालय के संकल्प संख्या—12011/7/95 बी.सी.सी. दिनांक 24.05.1995 को भारत सरकार के राजपत्र के असाधारण गजट के भाग—1 खण्ड—1 संख्या—88 दिनांक 25.05.1995 के आलोक में पहचान किए गए हैं ।

@ भारत सरकार, कल्याण मंत्रालय के संकल्प संख्या—12011/96/94 बी.सी.सी. दिनांक 09.03.1996 को भारत सरकार के राजपत्र के असाधारण गजट के भाग—1 खण्ड—1 संख्या—60 दिनांक 11.03.1996 के आलोक में पहचान किए गए हैं ।

@ भारत सरकार, कल्याण मंत्रालय के संकल्प संख्या—12011/44/96 बी.सी.सी. दिनांक 06.12.1996 को भारत सरकार के राजपत्र के असाधारण गजट के भाग—1 खण्ड—1 संख्या—210 दिनांक 11.12.1996 के आलोक में पहचान किए गए हैं ।

@ भारत सरकार, कल्याण मंत्रालय के संकल्प संख्या—12011/99/94 बी.सी.सी. दिनांक 11.12.1997 को भारत सरकार के राजपत्र के असाधारण गजट के भाग—1 खण्ड—1 संख्या—236 दिनांक 12.12.1997 के आलोक में पहचान किए गए हैं ।

@ भारत सरकार, कल्याण मंत्रालय के संकल्प संख्या—12011/13/97 बी.सी.सी. दिनांक 03.12.1997 को भारत सरकार के राजपत्र के असाधारण गजट के भाग—1 खण्ड—1 संख्या—239 दिनांक 17.12.1997 के आलोक में पहचान किए गए हैं ।

@ भारत सरकार, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय के संकल्प संख्या—12011/68/98 बी.सी.सी. दिनांक 27.10.1999 को भारत सरकार के राजपत्र के असाधारण गजट के भाग—1 खण्ड—1 संख्या—241 दिनांक 27.10.1999 के आलोक में पहचान किए गए हैं ।

@ भारत सरकार, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय के संकल्प संख्या—12011/88/98 बी.सी.सी. दिनांक 06.12.1999 को भारत सरकार के राजपत्र के असाधारण गजट के भाग—1 खण्ड—1 संख्या—270 दिनांक 06.12.1999 के आलोक में पहचान किए गए हैं ।

@ भारत सरकार, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय के संकल्प संख्या-12011/36/99 बी.सी.सी. दिनांक 04.04.2000 को भारत सरकार के राजपत्र के असाधारण गजट के भाग-1 खण्ड-1 संख्या-71 दिनांक 04.04.2000 के आलोक में पहचान किए गए हैं ।

@ भारत सरकार, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय के संकल्प संख्या-12011/44/99 बी.सी.सी. दिनांक 21.09.2000 को भारत सरकार के राजपत्र के असाधारण गजट के भाग-1 खण्ड-1 संख्या-210 दिनांक 21.09.2000 के आलोक में पहचान किए गए हैं ।

@ भारत सरकार, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय के संकल्प संख्या-12011/09/2000 बी.सी.सी. दिनांक 06.12.2001 को भारत सरकार के राजपत्र के असाधारण गजट के भाग-1 खण्ड-1 संख्या-246 दिनांक 06.12.2001 के आलोक में पहचान किए गए हैं ।

@ भारत सरकार, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय के संकल्प संख्या-12011/01/2001 बी.सी.सी. दिनांक 19.06.2003 को भारत सरकार के राजपत्र के असाधारण गजट के भाग-1 खण्ड-1 संख्या-151 दिनांक 20.06.2003 के आलोक में पहचान किए गए हैं ।

@ भारत सरकार, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय के संकल्प संख्या-12011/04/2002 बी.सी.सी. दिनांक 13.01.2004 को भारत सरकार के राजपत्र के असाधारण गजट के भाग-1 खण्ड-1 संख्या-09 दिनांक 13.01.2004 के आलोक में पहचान किए गए हैं ।

@ भारत सरकार, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय के संकल्प संख्या-12011/14/2004 बी.सी.सी. दिनांक 12.03.2007 को भारत सरकार के राजपत्र के असाधारण गजट के भाग-1 खण्ड-1 संख्या-67 दिनांक 12.03.2007 के आलोक में पहचान किए गए हैं ।

यह प्रमाणित किया जाता है कि श्री/सुश्री/श्रीमती..... एवं इनके परिवार सामान्यतः, ग्राम/महल्ला.....पोस्ट..... प्रखण्ड.....जिला.....प्रमण्डल..... राज्य बिहार के निवासी हैं ।

यह भी प्रमाणित किया जाता है कि भारत सरकार, कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग के कार्यालय ज्ञापन संख्या-36012/22/1993स्था.(एस.सी.टी.) दिनांक 08.09.1993, कार्यालय ज्ञापन संख्या-36033/3/2004 स्था.(आ.) दिनांक 09.03.2004 एवं कार्यालय ज्ञापन संख्या-36033/03/2004स्था.(आ.) दिनांक 14.10.2008 के स्तम्भ-3 में वर्णित व्यक्ति/वर्ग क्रीमीलेयर के अंतर्गत नहीं आते/आती हैं ।

हस्ताक्षर.....

पदनाम.....

(मुहर सहित)  
बिहार राज्य

स्थान.....

दिनांक.....

**फॉर्म—VIII****स्वयं शपथ—पत्र**

ओ.बी.सी. (क्रीमीलेयर रहित) प्रमाणपत्र हेतु  
(भारत सरकार के प्रयोजनार्थ)

मैं ..... पुत्र/पुत्री .....

गाँव/शहर ..... पोस्ट ऑफिस ..... थाना .....

प्रखण्ड.....अनुमण्डल .....जिला ..... राज्य .....ने ओ.बी.सी. हेतु आवेदन दिया  
है, एतद् द्वारा शपथ लेता/लेती हूँ कि :-

1. मैं ..... जाति से संबंध रखता/रखती हूँ जो बिहार हेतु अन्य पिछड़ा वर्ग के रूप में अधिसूचित है ।

2. मेरे माता/पिता में से कोई भी भारत सरकार/बिहार सरकार के अधीन ग्रुप-ए/क्लास-1 के पद पर अथवा पी.एस.यू., बैंक, इंड्योरेंस कम्पनी, शिक्षण संस्थान की सेवा में अथवा भारत सरकार/बिहार सरकार के अधीन ग्रुप-ए के समकक्ष पद पर गैर सरकारी सेवा में अथवा किसी संवैधानिक पद पर नहीं हैं ।

3. मेरे माता और पिता (जो लागू न हो उसे काट दें) में से कोई/कोई एक भारत सरकार/बिहार सरकार के अधीन ग्रुप-बी/क्लास-2 के पद पर अथवा पी.एस.यू., बैंक, इंड्योरेंस कम्पनी, विश्वविद्यालय की सेवा में अथवा भारत सरकार/बिहार सरकार के अधीन ग्रुप-बी/क्लास-2 के समकक्ष पद पर गैर सरकारी सेवा में नहीं हैं ।

4. मेरे माता/पिता की वेतन से वार्षिक आय रु. .... (शब्दों में) है ।

5. मेरे माता/पिता की अन्य स्रोत से बिजनेस/प्रोफेशन सहित कुल वार्षिक आय रु. .... (शब्दों में) है ।

6. मैं ओ.बी.सी. प्रमाणपत्र निर्गत करने संबंधी सरकार द्वारा निर्गत संगत आदेश में परिभाषित क्रीमीलेयर के अंतर्गत नहीं आता/आती हूँ ।

मैं प्रमाणित करता/करती हूँ कि मेरे द्वारा दी गई उपरोक्त जानकारी मेरे ज्ञान और विश्वास के अनुसार सत्य है और मैं अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए आरक्षण सुविधा प्राप्त करने हेतु पात्रता धारण करता/करती हूँ । यदि मेरे द्वारा दी गई जानकारी असत्य/गलत पायी जाती है तो मैं पूर्ण रूप से जानता/जानती हूँ कि इस आवेदन पत्र के आधार पर दिये गये प्रमाणपत्र के द्वारा शैक्षणिक संस्थान में लिया गया प्रवेश/लोक सेवाओं में प्राप्त की गई नियुक्ति निरस्त कर दी जायेगी/कर दिया जायेगा अथवा इस प्रमाणपत्र के आधार पर कोई अन्य सुविधा/लाभ प्राप्त किया गया है उससे भी वंचित किया जा सकेगा और इस संबंध में विधि एवं नियमों के अधीन मेरे विरुद्ध की जाने वाली कार्यवाही के लिए मैं उत्तरदायी रहूँगा/रहूँगी ।

आवेदक/आवेदिका का हस्ताक्षर तथा नाम ।

स्थान :-

दिनांक :-

## फॉर्म—IX

क्रीमीलेयर रहित प्रमाणपत्र हेतु आवेदन पत्र  
(बिहार सरकार के प्रयोजनार्थ)  
पिछड़ा वर्ग/अत्यंत पिछड़ा वर्ग

आवेदन पत्र संख्या.....

सेवा में,

.....

.....

महोदय,

मुझे बिहार लोक सेवा आयोग एवं अन्य राज्य सेवा में आरक्षण से सम्बन्धित पिछड़ा वर्ग/अत्यंत पिछड़ा वर्ग के लिए प्रमाणपत्र देने की कृपा की जाय ।

मेरे बारे में आवश्यक जानकारी निम्न प्रकार है :-

1. आवेदक/आवेदिका का नाम :-

2. जन्म तिथि :-

3. आवासीय पता :- (पूर्ण)

(क) स्थाई - वार्ड नं. -

सर्किल नं. -

हो. नं. -

ग्राम/मुहल्ला -

पोस्ट -

थाना -

प्रखण्ड-

जिला -

(ख) अस्थायी -वार्ड नं. -

सर्किल नं. -

हो. नं. -

ग्राम/मुहल्ला -

पोस्ट -

थाना -

प्रखण्ड-

जिला -

4. धर्म :-

5. जाति :-

6. उप-जाति :-

7. पेशा -

8. बिहार की सूची में पिछड़ी जाति/अत्यंत पिछड़ी जाति का क्रमांक सं. :-

9. पिता का नाम एवं जाति :-

10. माता का नाम :-

11. पति का नाम :-

12. अभिभावक / पिता / पति की स्थिति                      पिता                      माता                      पति

(क) (1) संवैधानिक पद

(2) पदनाम :-

(i) सरकारी सेवा (केन्द्र/राज्य) :-

(ii) पदनाम :-

(iii) वेतनमान :-

(iv) नियुक्ति की तिथि :-

(v) उच्च प्रथम श्रेणी में प्रोन्नति के समय (अगर लागू हो) :-

(ख) अन्तर्राष्ट्रीय सेवा में नियोजित

जैसे -यूनिसेफ/यू. एन./डब्ल्यू. एच. ओ.

(1) संगठन का नाम :-

(2) पदनाम :-

(3) सेवा का नाम    तिथि..... से..... तक ।

(ग) निजी क्षेत्र में नियोजित के लिए :-

(1) संगठन/फर्म का नाम :-

(2) पदनाम :-

(3) नियुक्ति की तिथि :-

(घ) आर्मस फोर्स/कारा मिलिट्री के लिए :-

(1) पदनाम :-

(2) वेतनमान :-

(ङ) व्यवसायों के लिए :-                      पिता                      माता                      पत्नी

(1) पेशा :-

(च) सम्पत्ति का विवरण :-

पिता/माता/आवश्यक बच्चों का नाम :-

(1) पता :-

(2) क्षेत्रफल :-

(3) (क) असिंचित :-

(ख) सिंचित :-

(4) सिंचित जमीन का प्रतिशत :-

(बिहार सरकार के सिंचित कानून के अन्तर्गत)

(विवरण अंचलाधिकारी से सत्यापित होना चाहिए)

(5) कुल सिंचित/असिंचित जमीन :-

(छ) प्लान्टेशन :-

(1) फसल/फल :-

(2) पता :-

(3) क्षेत्रफल :-

(ज) परती जमीन/भवन (शहरी क्षेत्र के लिए)

(1) सम्पत्ति का स्थान :-

(2) सम्पत्ति का विवरण :-

(3) सम्पत्ति का क्या इस्तेमाल होता है :-

(झ) आय :-

(1) वार्षिक आय (नौकरी, पेंशन, व्यवसाय या कृषि से आय)

(2) क्या कर भुगतान करते हैं ? (अगर हाँ तो विगत तीन वर्षों का रिटर्न की प्रति प्रस्तुत करें) ;

(3) क्या सम्पत्ति कर के अन्तर्गत हैं ? (अगर हाँ तो पूर्ण विवरण दें)

(ट) कुछ अन्य बातें :-

प्रमाणित किया जाता है कि उपर्युक्त विवरण मेरी जानकारी में सत्य हैं और पूर्ण विश्वास है कि मैं क्रीमीलेयर के अन्तर्गत नहीं हूँ और अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए सक्षम हूँ । अगर कोई सूचना गलत पायी गयी तो मेरा नियोजन रद्द किया जा सकता है या कानून के नियम के अन्तर्गत कार्रवाई की जा सकती है ।

आवेदक/आवेदिका का हस्ताक्षर ।



## फॉर्म—X

क्रीमीलेयर रहित प्रमाणपत्र

पिछड़ा वर्ग/अत्यंत पिछड़ा वर्ग हेतु

(बिहार सरकार के प्रयोजनार्थ)

कार्यालय का नाम .....

प्रमाणपत्र संख्या—..... दिनांक .....

प्रमाणित किया जाता है कि श्री/श्रीमती/सुश्री .....पिता/पति/श्री .....

ग्राम/नगर ..... पोस्ट .....थाना ..... प्रखण्ड.....

अनुमण्डल ..... जिला ..... राज्य ..... समुदाय के सदस्य हैं, जो बिहार

पदों एवं सेवाओं की रिक्तियों में आरक्षण (अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों एवं अन्य पिछड़े वर्गों

के लिए) अधिनियम, 1991 समय-समय-पर यथासंशोधित अधिनियम के अंतर्गत बिहार राज्य की अत्यंत

पिछड़ा वर्ग (अनुसूची-1)/पिछड़ा वर्ग (अनुसूची-2) में अनुक्रमांक..... पर अंकित हैं । अतः

श्री/श्रीमती/सुश्री .....पुत्र/पुत्री .....

अत्यंत पिछड़ा वर्ग (अनुसूची-1)/पिछड़ा वर्ग (अनुसूची-2) का/की हैं ।

यह भी प्रमाणित किया जाता है कि भारत सरकार, कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग के कार्यालय

ज्ञापन संख्या-36012/22/1993स्था.(एस.सी.टी.) दिनांक 08.09.1993, कार्यालय ज्ञापन संख्या-36033/

3/2004स्था.(आ.) दिनांक 09.03.2004 एवं कार्यालय ज्ञापन संख्या-36033/03/2004 स्था.(आ.)

दिनांक 14.10.2008 के स्तम्भ-3 में वर्णित व्यक्ति/वर्ग क्रीमीलेयर के अंतर्गत नहीं आते/आती हैं ।

हस्ताक्षर.....

पदनाम.....

(मुहर सहित)

बिहार राज्य

स्थान.....

दिनांक.....

## फॉर्म—XI

स्वयं शपथ—पत्र

क्रीमीलेयर रहित प्रमाणपत्र हेतु  
(बिहार सरकार के प्रयोजनार्थ)

पिछड़ा वर्ग/अत्यंत पिछड़ा वर्ग हेतु

मैं ..... पुत्र/पुत्री .....  
गाँव/शहर ..... पोस्ट ऑफिस ..... थाना .....  
प्रखण्ड.....अनुमण्डल .....जिला ..... राज्य .....ने क्रीमीलेयर रहित प्रमाणपत्र हेतु  
आवेदन दिया है, एतद् द्वारा शपथ लेता/लेती हूँ कि :-

1. मैं ..... जाति से संबंध रखता/रखती हूँ जो बिहार हेतु अन्य पिछड़ा वर्ग के रूप में अधिसूचित है ।

2. मेरे माता/पिता में से कोई भी भारत सरकार/बिहार सरकार के अधीन ग्रुप-ए/क्लास-1 के पद पर अथवा पी.एस.यू., बैंक, इंश्योरेंस कम्पनी, शिक्षण संस्थान की सेवा में अथवा भारत सरकार/बिहार सरकार के अधीन ग्रुप-ए के समकक्ष पद पर गैर सरकारी सेवा में अथवा किसी संवैधानिक पद पर नहीं हैं ।

3. मेरे माता और पिता (जो लागू न हो उसे काट दें) में से कोई/कोई एक भारत सरकार/बिहार सरकार के अधीन ग्रुप-बी/क्लास-2 के पद पर अथवा पी.एस.यू., बैंक, इंश्योरेंस कम्पनी, विश्वविद्यालय की सेवा में अथवा भारत सरकार/बिहार सरकार के अधीन ग्रुप-बी/क्लास-2 के समकक्ष पद पर गैर सरकारी सेवा में नहीं हैं ।

4. मेरे माता/पिता की वेतन से वार्षिक आय रु. .... (शब्दों में) है ।

5. मेरे माता/पिता की अन्य स्रोत से बिजनेस/प्रोफेशन सहित कुल वार्षिक आय रु. .... (शब्दों में) है ।

6. मैं क्रीमीलेयर रहित प्रमाणपत्र निर्गत करने संबंधी सरकार द्वारा निर्गत संगत आदेश में परिभाषित क्रीमीलेयर के अंतर्गत नहीं आता/आती हूँ ।

मैं प्रमाणित करता/करती हूँ कि मेरे द्वारा दी गई उपरोक्त जानकारी मेरे ज्ञान और विश्वास के अनुसार सत्य है और मैं पिछड़ा वर्ग/अत्यंत पिछड़ा वर्ग के लिए आरक्षण सुविधा प्राप्त करने हेतु पात्रता धारण करता/करती हूँ । यदि मेरे द्वारा दी गई जानकारी असत्य/गलत पायी जाती है तो मैं पूर्ण रूप से जानता/जानती हूँ कि इस आवेदन पत्र के आधार पर दिये गये प्रमाणपत्र के द्वारा शैक्षणिक संस्थान में लिया गया प्रवेश/लोक सेवाओं में प्राप्त की गई नियुक्ति निरस्त कर दी जायेगी/कर दिया जायेगा अथवा इस प्रमाणपत्र के आधार पर कोई अन्य सुविधा/लाभ प्राप्त किया गया है उससे भी वंचित किया जा सकेगा और इस संबंध में विधि एवं नियमों के अधीन मेरे विरुद्ध की जाने वाली कार्यवाही के लिए मैं उत्तरदायी रहूँगा/रहूँगी ।

आवेदक/आवेदिका का हस्ताक्षर तथा नाम ।

स्थान :-

दिनांक :-

**फॉर्म—XII****निवास प्रमाणपत्र हेतु आवेदन पत्र**

आवेदन पत्र संख्या.....

कार्यालय का नाम :-

आवेदन पत्र जमा करने की तिथि :-

आवेदक/आवेदिका का नाम :-

पिता का नाम :-

पति का नाम :-

लिंग :-

स्वयं शपथ-पत्र :-

गाँव/मोहल्ला :-

पोस्ट :-

पंचायत/वार्ड संख्या :-

थाना :-

ब्लॉक :-

अनुमण्डल :-

जिला :-

राज्य :-

निवास प्रमाणपत्र का आधार :-

i. राजस्व अभिलेख

ii. राशन कार्ड

iii. निर्वाचन पहचान पत्र

iv. विद्युत विपत्र

v. दूरभाष विपत्र

vi. स्वयं शपथपत्र

(जो लागू हो उसे चिन्हित करें)

आवेदन का उद्देश्य :-

स्वीकृति प्रदान करने वाले पदाधिकारी :-

आवेदक/आवेदिका का हस्ताक्षर ।

**फॉर्म—XIII**

**निवास प्रमाणपत्र**

कार्यालय का नाम .....

प्रमाणपत्र संख्या—.....

दिनांक .....

प्रमाणित किया जाता है कि श्री/श्रीमती/सुश्री .....

पिता/पति.....ग्राम/नगर ..... पोस्ट .....

थाना ..... प्रखण्ड..... अनुमण्डल ..... जिला .....

राज्य ..... के स्थायी/अस्थायी निवासी हैं ।

हस्ताक्षर.....

पदनाम.....

(मुहर सहित)

बिहार राज्य

स्थान.....

दिनांक.....

**फॉर्म—XIV**  
स्वयं शपथ—पत्र  
निवास प्रमाणपत्र हेतु

मैं ..... पुत्र/पुत्री .....

गाँव/शहर ..... पोस्ट ऑफिस ..... थाना .....

..... प्रखण्ड ..... अनुमण्डल ..... जिला .....

राज्य ..... का स्थायी/अस्थायी निवासी हूँ ।

मैं प्रमाणित करता/करती हूँ कि मेरे द्वारा दी गई उपरोक्त जानकारी मेरे ज्ञान और विश्वास के अनुसार सत्य है । यदि मेरे द्वारा दी गई जानकारी असत्य/गलत पायी जाती है तो मैं पूर्ण रूप से जानता/जानती हूँ कि इस आवेदन पत्र के आधार पर दिये गये प्रमाणपत्र के द्वारा शैक्षणिक संस्थान में लिया गया प्रवेश/लोक सेवाओं में प्राप्त की गई नियुक्ति निरस्त कर दी जायेगी/कर दिया जायेगा अथवा इस प्रमाणपत्र के आधार पर कोई अन्य सुविधा/लाभ प्राप्त किया गया है उससे भी वंचित किया जा सकेगा और इस संबंध में विधि एवं नियमों के अधीन मेरे विरुद्ध की जाने वाली कार्यवाही के लिए मैं उत्तरदायी रहूँगा/रहूँगी ।

आवेदक/आवेदिका का हस्ताक्षर तथा नाम ।

स्थान :-

दिनांक :-

## फॉर्म—XV

## आय प्रमाणपत्र हेतु आवेदन पत्र

आवेदन पत्र संख्या.....

कार्यालय का नाम :-

आवेदन पत्र जमा करने की तिथि

आवेदक/आवेदिका का नाम :-

पिता का नाम :-

पति का नाम :-

लिंग :-

स्वयं शपथ-पत्र :-

गाँव/मोहल्ला :-

पोस्ट :-

पंचायत/वार्ड संख्या :-

थाना :-

ब्लॉक :-

अनुमण्डल :-

जिला :-

राज्य :-

आय प्रमाणपत्र का आधार :-

i. वेतन/पेंशन पर्ची

ii. आयकर रिटर्न

iii. अन्यान्य अभिलेख

(जो लागू हो उसे चिन्हित करें)

आवेदन का उद्देश्य :-

पेशा :-

सरकारी सेवा से आय :-

व्यवसाय से आय :-

कृषि से आय :-

अन्य स्रोतों से आय :-

कुल आय (वार्षिक) :-

स्वीकृति प्रदान करने वाले पदाधिकारी :-

आवेदक/आवेदिका का हस्ताक्षर ।

## फॉर्म—XVI

आय प्रमाणपत्र

कार्यालय का नाम .....

प्रमाणपत्र संख्या—.....

दिनांक .....

प्रमाणित किया जाता है कि श्री/श्रीमती/सुश्री .....

पिता/पति/श्री .....ग्राम/नगर .....पोस्ट .....

थाना ..... प्रखण्ड ..... अनुमण्डल .....जिला

.....राज्य ..... एवं उनके परिवार की कुल वार्षिक आय निम्नांकित हैं :-

सरकारी सेवा से आय :-

व्यवसाय से आय :-

कृषि से आय :-

अन्य स्रोतों से आय :-

कुल आय (वार्षिक) :-

हस्ताक्षर.....

पदनाम.....

(मुहर सहित)

बिहार राज्य

स्थान.....

दिनांक.....

**फॉर्म—XVII**

स्वयं शपथ—पत्र  
आय प्रमाणपत्र हेतु

मैं ..... पुत्र/पुत्री ..... गाँव/शहर  
..... पोस्ट ऑफिस ..... थाना ..... प्रखण्ड  
..... अनुमण्डल ..... जिला ..... राज्य ..... एवं

मेरे परिवार की कुल वार्षिक आय निम्नांकित हैं :-

सरकारी सेवा से आय :-

व्यवसाय से आय :-

कृषि से आय :-

अन्य स्रोतों से आय :-

कुल आय (वार्षिक) :-

मैं प्रमाणित करता/करती हूँ कि मेरे द्वारा दी गई उपरोक्त जानकारी मेरे ज्ञान और विश्वास के अनुसार सत्य है । यदि मेरे द्वारा दी गई जानकारी असत्य/गलत पायी जाती है तो मैं पूर्ण रूप से जानता/जानती हूँ कि इस आवेदन पत्र के आधार पर दिये गये प्रमाणपत्र के द्वारा शैक्षणिक संस्थान में लिया गया प्रवेश/लोक सेवाओं में प्राप्त की गई नियुक्ति निरस्त कर दी जायेगी/कर दिया जायेगा अथवा इस प्रमाणपत्र के आधार पर कोई अन्य सुविधा/लाभ प्राप्त किया गया है उससे भी वंचित किया जा सकेगा और इस संबंध में विधि एवं नियमों के अधीन मेरे विरुद्ध की जाने वाली कार्यवाही के लिए मैं उत्तरदायी रहूँगा/रहूँगी ।

आवेदक/आवेदिका का हस्ताक्षर तथा नाम ।

स्थान :-

दिनांक :-



## (फॉर्म—XVIII)

अधिकारिक घोषणा पत्र का विहित प्रपत्र  
(आवेदक द्वारा दिया जाने वाला शपथ पत्र)

मैं ..... पुत्र / पुत्री श्री .....

..... निवासी, ग्राम/कस्बा/शहर ..... पोस्ट ..... थाना

..... प्रखण्ड ..... जिला ..... राज्य

..... एतद् द्वारा घोषित करता/करती हूँ कि मैं ..... समुदाय का/की

हूँ, जो कि कार्मिक, लोक शिकायत एवं पेंशन मंत्रालय (कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग), भारत सरकार, नई दिल्ली के दिनांक 08.09.93 के कार्यालय ज्ञापन संख्या-36012/22/93-स्था. (एस.सी.टी.) में निहित आदेश के अनुसार सेवाओं में आरक्षण के प्रयोजन से भारत सरकार/बिहार सरकार द्वारा क्रमशः ओ.बी.सी./पिछड़ा वर्ग, अत्यंत पिछड़ा वर्ग के रूप में मान्य है । मैं यह भी घोषणा करता/करती हूँ कि मैं दिनांक 08.09.93, 09.03.04 एवं 14.10.08 के उपर्युक्त संदर्भित कार्यालय ज्ञापन की अनुसूची के कॉलम-3 में उल्लेखित व्यक्तियों/वर्गों (सम्पन्न वर्ग) से संबंधित नहीं हूँ ।

हस्ताक्षर शपथकर्ता ।

अधीक्षक, सचिवालय मुद्रणालय,  
बिहार, पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित।  
बिहार गजट (असाधारण) 61-571+200-डी0टी0पी0।  
Website: <http://egazette.bih.nic.in>